



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 01.09.2024

थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 577/24 धारा 319(2)/338/336(3)/340(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 02 प्रवेश पत्र पुलिस आरक्षी भर्ती वर्ष-2023, 02 आधार कार्ड, 02 हाईस्कूल की मार्कशीट की छाया प्रति, 02 इण्टरमीडिएट की मार्कशीट छाया प्रति बरामद ।

संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही-

दिनांक 31.08.2024 को थाना बडौत क्षेत्रान्तर्गत उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा केन्द्र जनता वैदिक इण्टर कालेज कस्बा बडौत में द्वितीय पाली की परीक्षा के लिए सुरक्षा व्यवस्था में लगी पुलिस टीम द्वारा परीक्षार्थियों के आधार कार्ड आदि दस्तावेज चैक किये गये । चैकिंग के दौरान 02 परीक्षार्थी 1- अनुज चौधरी पुत्र सुभाष चन्द निवासी



ग्राम बडौला थाना गागलहैड़ी जनपद सहारनपुर, 2-प्रीत सिंह पुत्र सलेखचन्द निवासी ग्राम रामगनर थाना झिंझाना जनपद शामली के आधार कार्ड व पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा एडमिट कार्ड में जन्म तिथि भिन्न-भिन्न पाई गई । उक्त के सम्बन्ध में गहन्ता से जांच की गई तो जांच में पाया गया कि उक्त परीक्षार्थियों द्वारा फर्जी तरीके से जन्मतिथि बदल कर पुनः हाई स्कूल व इण्टर मीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण कर पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा में शामिल हुए हैं । पुलिस टीम द्वारा उक्त परीक्षार्थियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से दोनों के प्रवेश पत्र पुलिस आरक्षी भर्ती 2023, 02 आधार कार्ड, 02 हाईस्कूल की मार्कशीट की छायाप्रति व 02 इण्टरमीडिएट की मार्कशीट की छायाप्रति बरामद हुई हैं । इस सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 577/24 धारा 319(2)/338/336(3)/340(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-अनुज चौधरी पुत्र सुभाष चन्द निवासी ग्राम बडौला थाना गागलहैड़ी जनपद सहारनपुर।

2-प्रीत सिंह पुत्र सलेखचन्द निवासी ग्राम रामगनर थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण-

- अभियुक्त अनुज चौधरी का आधार कार्ड, प्रवेश पत्र पुलिस भर्ती परीक्षा 2023, हाईस्कूल की मार्कशीट की छाया प्रति व इण्टरमीडिएट की मार्कशीट की छाया प्रति।
- अभियुक्त प्रीत सिंह का आधार कार्ड, प्रवेश पत्र पुलिस भर्ती परीक्षा 2023, हाईस्कूल की मार्कशीट की छाया प्रति व इण्टरमीडिएट की मार्कशीट की छाया प्रति।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-श्री बच्चू सिंह प्रभारी डीसीआरबी शाखा जनपद बागपत।

2-उ०नि० श्री विनोद कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।

3-है०का० 111 मुन्नालाल थाना बडौत जनपद बागपत।

4-है०का० 201 विशाल चौधरी थाना बडौत जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 01.09.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 739/24 धारा
137(2)/333/352/115(2)/65(1) बीएनएस व 9L/10 पोक्सो एक्ट व 3/5(1) उ0प्र0
विधि विरुद्ध धर्म सपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को
किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में
अपराधों की रोकथाम एवं
वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी
हेतु चलाये जा रहे अभियान के
अन्तर्गत थाना कोतवाली
बागपत पुलिस द्वारा थाने के
मु0अ0सं0 739/24 धारा
137(2)/333/352

/115(2)/65(1) बीएनएस व
9L/10 पोक्सो एक्ट व 3/5(1)
उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म

सपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम-2021 से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया
गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रिजवान पुत्र रहीसुद्दीन निवासी माता कालोनी कसबा बागपत थाना कोतवाली बागपत
जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1-निरीक्षक क्राइम श्री रामकुमार कुन्तल थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-का0 60 संदीप कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनांक-01.09.2024

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान पशु क्रूरता अधिनियम में 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से पशु तस्करी में प्रयुक्त 01 गाडी अशोक लिलैंड कैन्टर नं0 HR-62A-9740, जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 50 पशु बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं पशु तस्करी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से पशु तस्करी में प्रयुक्त 01 गाडी अशोक लिलैंड कैन्टर नं0 HR-62A-9740 जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 50 पशु बरामद हुए हैं ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-गुरप्रीत पुत्र सुरजीत निवासी रतिया थाना रतिया जनपद फतेहाबाद हरियाणा ।
- 2-बसंतलाल पुत्र मिलखीराम निवासी नंगला थाना रतिया जनपद फतेहाबाद हरियाणा ।
- 3-राजी पुत्र बहादुर सिंह निवासी सरदारेवाला थाना रतिया जनपद फतेहाबाद हरियाणा ।

बरामदगी का विवरण –

- क्रूरतापूर्वक भरे हुए 50 पशु ।
- पशु तरकारी में प्रयुक्त 01 गाडी अशोक लिलैंड कैन्टर नं0 HR-62A-9740

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री नरेशपाल सिंह थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 यूटी धर्मेन्द्र सिंह थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 3-का0 349 जितेन्द्र कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 4-का0 1022 अजय कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 01.09.2024

थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारण्टी/ अभियुक्त का नाम व पता-

सहीद पुत्र हाजी इलियास निवासी करबा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री अकित कुन्तल थाना सिंघावली अहीर ।
- 2-है0का0 439 कुलदीप सिंह थाना सिंघावली अहीर ।
- 3-का0 454 जितेन्द्र सिंह थाना सिंघावली अहीर ।